संख्या-892/44-1-2011-2 उवेरि/98

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2011

विषय :- **सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को महँगाई भत्ते का भुगतान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-81/44-1-2011-2उवेरि/98, दिनांक 08 मार्च,2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित अधिनियिमों/विनियमों, कम्पनीज एक्ट, 1956 अथवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उपक्रमों के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन से संबंधित आर्टिकल्स तथा उ0प्र0 सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-41,1975) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय उक्त संस्थाओं के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को, जो पूर्व से ही राज्य सरकार के कार्मिकों को मिलने वाली दर पर महँगाई भत्ता/अतिरिक्त महँगाई भत्ता पाते है तथा वेज बोर्ड द्विपक्षीय समझौतें के अंतर्गत नहीं आते हैं, को निम्नानुसार संशोधित दर पर महँगाई भत्ते के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(क) 01 जनवरी,1996 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये	दिनांक 01.01.2011 से वेतन का 165 प्रतिशत तथा जिन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में शासनादेश संख्या-1090(1)/44-1-2009-2उवेरि/98, दिनांक 11 सितम्बर,2009 के अनुसार मूल वेतन के 50प्रतिशत के बराबर महँगाई भत्ते को महँगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है, उनके लिये वेतन तथा मंहगाई वेतन के योग का 115 प्रतिशत ।

(ख) 01 जनवरी,1996 से अपुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये।	दिनांक 01.जनवरी,2011 से मूल वेतन का 157 प्रतिशत ।
(ग) 01 जनवरी,2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के लिये ।	दिनांक 01.01.2011 से मूल वेतन का 51 प्रतिशत ।

2. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि महँगाई भत्ते की उपरोक्त किश्ते शासनादेश सं0-1090/44-1-2009-2 उवेरि/98, दिनांक 11 सितम्बर,2009 में निर्धारित निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

(1.) बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता केवल उन्हीं सार्वजनिक उद्यमों के कर्मियों को अनुमन्य होगा जिनकी अपनी आन्तरिक वित्तीय क्षमता ऐसी हो कि वे अतिरिक्त व्यय भार वहन करने में सक्षम हो।

(2.) जिन सार्वजनिक उद्यमों को बंद करने का औपचारिक निर्णय सक्षम स्तर पर लिया जा चुका हो, उन्हें बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(3.) संबंधित निगम/उपक्रम का सांविधिक देय ई0पी0एफ0, पेंशन अंशदान तथा आयकर लम्बित न हो ।

(4.) प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित शर्त के तहत प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम/निगम की वित्तीय क्षमता का आंकलन संबंधित उद्यम/निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदन पश्चात संबंधित निगम/उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति को प्रस्ताव संदर्भित किया जायेगा । उक्त समिति में प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव,वित्त तथा संबंधित उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक सदस्य है । उक्त समिति संबंधित उपक्रम/निगम के कार्मिको को मंहगाई भत्ते की किश्त दिये जाने के संबंध में निर्णय लेगी । उक्त समिति निर्णय लेते समय संबंधित उद्यम /निगम के चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट की हुई बैलेन्स शीट के अनुसार नकद लाभ अर्जित होने की स्थिति के आधार पर भुगतान क्षमता का आंकलन करेगी। ऐसा आंकलन इस दृष्टिकोण से भी किया जाना अपेक्षित होगा कि महँगाई भत्ते की किश्त का भुगतान किस तिथि से तथा किस रूप में किया जाना है ।

4. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में "वेतन" तथा अनुमन्य "ग्रेड वेतन" के योग से होगा,किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा । उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता,वैयक्तिक वेतन,प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

5. मंहगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट धटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा ।

भवदीय,

(हरिओम किशोर)
प्रमुख सचिव ।

पृ0सं0- 892 (1)/44-1-2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2. महानिदेशक,सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,जवाहर भवन,लखनऊ को 10 प्रतियों में।
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 तथा 2
4. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/आडिट प्रकोष्ठ/प्रबन्ध पत्रिका के प्रकाशनार्थ।
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0,लखनऊ।
6. निदेशक,सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी,सूचना, मुख्यमंत्री,उ0प्र0,लखनऊ।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।